



HAPUR POLICE



OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा० न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने के मामले एक आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 02.06.2026 को मा० न्यायालय द्वारा नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में एक आरोपी को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 29.09.2021 को अभियुक्त मोहित पुत्र भगत सिंह निवासी राठधना थाना सदर जनपद सोनीपत (हरियाणा) हाल पता रेलवे कॉलोनी थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ छेड़खानी करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर मु०अ०सं० 941/2021 धारा 354, 354ख भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 07.10.2021 को आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया ।
- आज दिनांक 02.06.2026 को अभियुक्त उपरोक्त को मा० न्यायालय एडीजे/स्पेशल पॉक्सो एक्ट प्रथम हापुड़ द्वारा 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।
- अभियोजन विभाग से श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ०नि० श्री सत्यवीर सिंह, पैरोकार म०है०का० मधु व कोर्ट मोहरीर है०का० प्रशान्त पाण्डेय का विशेष योगदान रहा ।

